उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 3 अप्रैल, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 10 अप्रैल, 1972 ई. की बैठक में स्वीकृत किया।]

["भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 15 अप्रैल, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 अप्रैल, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायगा। संक्षिप्त नाम

2--उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 में, उपधारा (1) में-- उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, 1960 की धारा 11 का संशोधन

(क) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्--

"(1) छः सदस्य, जिनमें से कम से कम एक राज्य विधान परिषद् का सदस्य होगा, जिनका निर्वाचन राज्य विधान मंडल के सुन्नी सदस्य अपने में से करेंगे।"

(ख) खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्--

"(2) दो सदस्य जिनका निर्वाचन उत्तर प्रदेश के सुन्नी एडवोकेट्स अपने में से करेंगे;"

(ग) खण्ड (5) में शब्द 'दस' के स्थान पर शब्द 'ग्यारह' रख दिया जाय;

(घ) खण्ड (6) में शब्द 'ग्यारह' के स्थान पर शब्द 'बारह' रख दिया जाय।

3--मूल अधिनियम की धारा 12 में-- धारा 12 का संशोधन

(1) उपधारा (1) में--

(क) प्रारम्भिक पैरा में शब्द "आमेलित किये जायेंगे" के पश्चात् शब्द "या नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे या पदेन होंगे" रख दिये जायें;

(ख) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्--

"(1) राज्य विधान मंडल के समस्त शिया सदस्य;"

(ग) खण्ड (4) में, शब्द "उपर्युक्त सात सदस्यों" के स्थान पर शब्द "पूर्ववर्ती खण्डों में अभिदिष्ट सदस्यों" रख दिये जायें;

(2) उपधारा (2) निकाल दी जाय।

4--मूल अधिनियम की धारा 13 में शब्द तथा अंक "धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (1) और (3)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (3)" रख दिये जायें। धारा 13 का संशोधन

5--उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5, 1972 का निरसन

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 1 अप्रैल, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

पी०एस०यू०पी०--ए० पी० 34 जनरल (लेग०)--1972 1,799+50 (मेक०)।

THE UTTAR PRADESH MUSLIM WAQFS (AMENDMENT) ACT, 1972

(U. P. ACT No. 18 OF 1972)

*[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Muslim Waqf (Sanshodhan) Adhiniyam,* 1972]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960

IT IS hereby enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Act, 1972. Short title.

2. In section 11 of the Uttar Pradesh Muslim Waqfs Act, 1960 (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1) :— Amendment of Section 11 of U.P. Act No. 16 of 1960.

(*a*) *for* clause (i), the following clause shall be *substituted,* namely :—

"(i) six members, of whom at least one shall be a member of the State Legislative Council, to be elected from amongst themselves by Sunni members of the State Legislature :" ;

(*b*) for clause (ii), the following clause shall be *substituted,* namely :—

"(ii) two members to be elected from amongst themselves by Sunni advocates of Uttar Pradesh ;".

(*c*) in clause (v), *for* the word "ten" the word "eleven" shall be *substituted* ;

(*d*) in clause (vi), *for* the word "eleven" the word "twelve" shall be *substituted.*

3. In section 12 of the principal Act— Amendment of Section 12.

(i) in sub-section (1) —

(*a*) in the opening paragraph, *after* the words "or co-opted" the words "or nominated or *ex officio*" shall be *inserted* ;

(*b*) *for* clause (i) the following clause shall be *substituted,* namely—

"(i) all Shia members of the State Legislature :" ;

(*c*) in clause (iv), *for* the words "the above seven members" the words "the members referred to in the foregoing clauses" shall be *substituted* ;

(ii) sub-section (2) shall be *omitted.*

4. In section 13 of the principal Act, *for* the words and figures "clauses (i) and (iii) of sub-section (1) of section 12" the words and figures "clause (iii) of sub-section (1) of section 12" shall be *substituted.* Amendment of Section 13.

5. The Uttar Pradesh Muslim Waqfs (Amendment) Ordinance, 1972, is hereby repealed. Repeal of U. P. Ordinance No. 5 of 1972.

[*For statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette* (*Extraordinary*), dated April 1, 1972]

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 3, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 10, 1972.)

(Received the Assent of the Governor on April 15, 1972, under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette* (*Extraordinary*), dated April 19, 1972.)